

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुकेश कुमार पुत्र दामोदर प्रसाद वर्ग 0 कनाम गिरधारीलाल पुत्र बृसिंहलाल वर्ग 0

किरम मुकदमा-विधिवत कौवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर:- 111/2025

16-9-25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
17.09.2025	<p>प्राथी की ओर से श्री रामावतार सैनी द्वितीय एडवो ने उपरिथत होकर एक प्रार्थना पत्र कौवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 02.06.2025 को न्यायालय में उपरिथत होकर पेश की गई थी। उक्त कौवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कौवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कौवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कौवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कौवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फौसल किया जाता हैं। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

